न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 82/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– शाले मोहम्मद पुत्र पठान खां 2– शाह मोहम्मद पुत्र पठान खां 3– अलीबक्स पुत्र पठान खां 4– अता मोहम्मद पुत्र पठान खां 5– मोहम्मद अली पुत्र पठान खां 6– लुतुबअली पुत्र पठान खां 7– जामा पुत्री पठान खां 8– अलाबक्स पुत्र इख्त्यार खां 9– हासमदीन पुत्र इख्त्यार खां 10–सायबदीन पुत्र इख्त्यार खां 11–सदाम हुसैन पुत्र इख्त्यार खां 12–इस्लामदीन पुत्र इख्त्यार खां 13–सरमा पुत्री इख्त्यार खां 14–हपु पत्नी इख्त्यार खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम भडला तहसील बाप, जिला जोधपुर		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप जिला जोधपुर 2– मैसर्स शोर्य ऊर्जा कम्पनी जरिये प्रतिनिधी हाल बाप जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 28–5–2019 जो उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 65/2018 अनवान शाले मोहम्मद वगैरा बनाम तहसीलदार बाप मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– श्री के.के.भाटी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 30–7–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 60/510 रकबा 25 बीघा भूमि सरहद मौजा भडला पटवार क्षेत्र नूरे की भुर्ज तहसील बाप मे आई हुई है । उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का आज दिन तक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर रहवासीय ढाणीयां, पानी के टांके एवं पशुओ के लिए बाडे आदि बना रखे है तथा उक्त रहवासीय ढाणियों मे प्रार्थीगण अपने परिवार सहित निवास कर रहे है तथा बरसात के मौसम मे कास्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है तथा प्रार्थना पत्र मे यह भी उल्लेख किया कि प्रार्थीगण ने उक्त भूमि का कभी विधिवत बंटवाडा नही किया है और न ही प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि की तरमीम हेतु किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही की है लेकिन फिर भी पटवारी हल्का ने गलत

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तरीके से सरासर गलत एवं बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि की तरमीम मौके की स्थिति से भिन्न कर दी है, जिसे दुरस्त करवाकर नक्शा ट्रेस मे पूर्व की स्थिति को बहाल करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–5–19 के द्वारा सारहीन होने से खारीज कर दिये जाने के आदेश से व्यथित होकर अपीलांटगण ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है । इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत होने के बाद शौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लि0 जरिये प्रतिनिधी की ओर से इस अपील मे रेस्पो0 पक्षकार बनाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी0 का प्रस्तुत हुआ जिस पर सुनवाई करते हुए इस अपील मे शौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लि0 जरिये प्रतिनिधी हाल बाप को रेस्पो0 संख्या 2 बनाया जाकर उभयपक्ष को सुना गया ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांटगण सरहद मौजा भडला, पटवार क्षेत्र नूरे की भुर्ज, तहसील बाप के खसरा नंबर 60/510 रकबा 25 बीघा भूमि के रेकर्डेड खातेदार है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांटगण को उक्त भूमि आवंटित हुई थी तथा वक्त आवंटन से ही अपीलांटगण का उक्त भूमि पर आज दिन तक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर रहवासीय ढाणीयां, पानी के टांके एवं पशुओ के लिए बाडे आदि बना रखे है तथा उक्त रहवासीय ढाणियों मे प्रार्थीगण अपने परिवार सहित निवास कर रहे है । अपीलांटगण ने उक्त भूमि की तरमीम हेतु किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही की है लेकिन फिर भी पटवारी हल्का ने बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि की तरमीम मौके की स्थिति से भिन्न कर दी है, जिसे दुरस्त करवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष प्रस्तुत धारा 131, 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 9–5–2019 की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांटगण की ओर से दिनांक 9–5–19 को एक प्रार्थना पत्र वास्ते सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध मे आपत्ति प्रकट करते हुए सरकारी पैरोकार से पुनः जवाब एवं मौका फर्द प्रार्थीगण की उपस्थिति मे मंगवाने के निवेदन के साथ प्रस्तुत किया जिसका उल्लेख आदेशिका मे आया हुआ है जिसमे आगामी तारीख पेशी वास्ते प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु दिनांक 28–5–19 को रखी गई थी ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28–5–19 की ओर ध्यान दिलाया जिसमे प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 9–5–19 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता को सुना जाकर उक्त आदेशिका के प्रथम पैरा मे "प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुनः जवाब मंगवाने बाबत सारहीन होने से खारीज कर दिया तथा उसी आदेशिका मे पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनने का उल्लेख करते हुए

अति० सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारीज करने बाबत अंतिम निर्णय पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व नक्शे मे की गई गलत तरमीम को दुरस्त करने बाबत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नायब तहसीलदार बाप द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने तहसीलदार बाप स्वयं को मौके पर जाकर अपीलाधीन खसरा नंबर 60/510 की विस्तृत मौका रिपोर्ट 2 दिन मे भिजवाने हेतु पत्र दिनांक 1–5–19 को लिखा था परंतु उक्त निर्देशो के कम मे तहसीलदार बाप कभी भी मौके पर नही गये और नायब तहसीलदार बाप की पूर्व मे प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना इस पर गौर किये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि वर्तमान मामले मे नायब तहसीलदार ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की रिपोर्ट एवं जवाब पेश किया जो यह दर्शाता है कि नक्शे मे की गई तरमीम गलत है । अपीलाधीन खसरा नंबर 60 मे से कम्पनी को जो भूमि आंवटित की गई, उसकी कोई तरमीम नक्शे मे नही की परंतु अपीलांटगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त वाली भूमि की गलत तरमीम बिना किसी के आदेश से करके अपीलांटगण को बेदखल करने एवं कम्पनी को इस भूमि पर कब्जा देने का प्रयास किया जा रहा है जो मोके की स्थिति से भिन्न होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे ग्राम भडला के ही अन्य खसरा नंबर 130/3 की नक्शे मे हुई गलत तरमीम के प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर के न्यायालय मे दायर अपील संख्या 150/2017 मे पारित निर्णय की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसमे अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर तहसीलदार बाप को अपीलांटगण के कब्जे के संबंध मे मौके की विस्तृत जांच कर कब्जे अनुसार नक्शे मे तरमीम को दुरस्त करने के संबंध मे निर्देश प्रदान किये गये है । वकील अपीलांट ने वर्तमान अपील को भी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–5–19 को निरस्त करने तथा तहसीलदार बाप को अपीलांट के कब्जे अनुसार भूमि की संशोधित तरमीम राजस्व नक्शे मे करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

अति० सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलांट यह बताने मे असफल रहे है कि उनकी नक्शे मे पहले तरमीम कहा थी जिसे बदलकर नये स्थान पर कर दी गई हो। वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बाप से मौका रिपोर्ट दिनांक 1–5–2019 प्राप्त करने के बाद ही

अपीलांटगण को सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने यह भी कथन किया कि खसरा नंबर 60 की कुल 1435 बीघा भूमि मे से राज्य सरकार ने शौर्य ऊर्जा कम्पनी को 216 बीघा भूमि सोलर हब विकसित करने के लिए लीज पर दी है, उस भूमि से अपीलांट को कोई लेना देना नही है क्योकि कम्पनी को लीज पर दी गई 216 बीघा भूमि मे अपीलांट की 25 बीघा भूमि सम्मलित नही है । वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने यह भी कथन किया कि दिनांक 1–5–2019 की नायब तहसीलदार बाप द्वारा मौके की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट की कृषि भूमि कम्पनी को लीज पर दी गई भूमि के रोड के दूसरी तरफ आई हुई होना बताया है, जिससे भी स्पष्ट है कि कम्पनी को लीज पर दी गई भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नही है फिर भी अपीलांट कम्पनी को तंग व परेशान करने के उदेश्य से यह कार्यवाही कर रहे है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28–5–19 को मौके की दुबारा रिपोर्ट भी तहसीलदार बाप द्वारा प्रेषित की है जिसमे भी वही रिपोर्ट आई है इसलिए अपीलांट का कम्पनी को लीज पर दी गई भूमि पर कोई कब्जा नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने रेस्पो0 संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस का समर्थन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने रेस्पो0 संख्या 2 के अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 के अधिवक्ता तहसीलदार बाप द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप को दिनांक 28–5–19 को मौका रिपोर्ट प्रेषित करना बता रहे है उक्त मौका रिपोर्ट किसके आदेश से तैयार कर प्रस्तुत की गई क्योकि अपीलांट द्वारा तहसीलदार से पुनः जवाब मंगवाये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 9–5–19 को तो आदेशिका दिनांक 28–5–19 से खारीज कर दिया था ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, आदेशिकाओ तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार/नायब तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत वस्तुस्थिति रिपोर्ट तथा राजकीय पक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उसके क्रम मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं वर्तमान अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का गौर से अवलोकन एवं अध्ययन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से दिनांक 2–5–19 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 9–5–19 को प्रार्थीगण की ओर से सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध मे आपत्ति प्रकट करते हुए प्रार्थना पत्र के जरिये सरकारी पैरोकार से पुनः जवाब एवं मौका फर्द प्रार्थीगण की उपस्थिति मे मंगवाने का निवेदन किया, जिसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक

9–5–19 मे आया हुआ है तथा उक्त आदेशिका मे आगामी तारीख पेशी वास्ते प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु दिनांक 28–5–19 को रखी गई थी ।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28–5–19 जिसमे प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 9–5–19 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता को सुना जाकर उक्त आदेशिका के प्रथम पैरा मे "प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुनः जवाब मंगवाने बाबत आपत्ति को सारहीन होने से खारीज कर दिया तथा उसी आदेशिका मे पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनने का उल्लेख करते हुए प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारीज करने बाबत अंतिम निर्णय पारित कर दिया, जो न्यायसंगत नही माना सकता है क्योंकि आदेशिका अनुसार पत्रावली प्रार्थना पत्र के जवाब मे रखी हुई थी, अंतिम बहस मे नही रखी हुई थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना मात्र आदेशिका मे उभय पक्षकारान की बहस सुनना लिखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ग्राम भडला तहसील बाप के खसरा नंबर 60/510 के संबंध मे नायब तहसीलदार घंटियाली द्वारा मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट दिनांक 1–5–19 को तैयार की गई थी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पेज नंबर 19 पर उपलब्ध है तथा वही रिपोर्ट तहसीलदार बाप ने उनके कार्यालय पत्रांक 1119 दिनांक 1–5–19 को ही उपखण्ड अधिकारी बाप को प्रस्तुत की गई है जो अधीनस्थ न्यायालय के पेज नंबर 18 पर उपलब्ध है तथा दिनांक 1–5–19 को ही उपखण्ड अधिकारी बाप ने तहसीलदार बाप को लिखा गया पत्र क्रमांक 185 जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पेज नंबर 17 पर है, जिसमे ग्राम भडला के खसरा नंबर 60/510 की मौका रिपोर्ट जो नायब तहसीलदार द्वारा तैयार की जाकर प्रेषित की, जिसमे यह नही बताया कि "खूंटे किसके द्वारा गाडे गये है" तथा "उक्त खसरा नंबरान की भूमि की तरमीम किसके आवेदन पत्र के आधार पर किस पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक द्वारा किसके आदेश से की गई है" उक्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए स्वयं मौका निरीक्षण कर उक्त खसरान की विस्तृत मौका रिपोर्ट दो दिवस मे प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार बाप को निर्देश प्रदान किये गये थे ।

उक्त निर्देशो के क्रम मे तहसीलदार बाप ने अधीनस्थ न्यायालय को उनके पत्रांक 1348 दिनांक 28–5–19 के जरिये रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पेज नंबर 16 पर उपलब्ध है, जिसमे उल्लेख किया गया है कि अपीलांट के खातेदारी की भूमि के चारो ओर खूंटे मौके पर 8/10 पत्थर के रूप मे किसी अज्ञात व्यक्तियो द्वारा रोपे गये होना बताया तथा इस भूमि पर कोई निर्माण नही होना तथा खसरा नंबर 60/510 मे जो भी तरमीम नक्शे मे अंकित है वह नियमानुसार सही होना बताया है । परंतु तहसीलदार बाप ने अपने पत्र मे यह कही उल्लेख नही किया है कि उनके द्वारा कब व किसको साथ मे ले जाकर किन मौतबिरान के रूबरू मौका निरीक्षण किया गया तथा मौका निरीक्षण फर्द अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नही की गई है जिससे

अति० सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

यह सिद्ध नही होता कि तहसीलदार स्वयं के द्वारा मौका निरीक्षण किया हो तथा तहसीलदार बाप की रिपोर्ट मे इस बिन्दु के बारे मे भी कोई उल्लेख नही किया है कि उक्त खसरा नंबरान की भूमि की तरमीम किसके आवेदन पत्र के आधार पर किस पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक द्वारा किसके आदेश से की गई है । ऐसे मे तहसीलदार बाप द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे निर्णय पारित करने के दिन ही जल्दबाजी मे आधी अधूरी प्रस्तुत रिपोर्ट, बिना विवादित स्थल का मौका निरीक्षण किये ही मात्र कमी पूर्ति के उदेश्य से प्रेषित की जाना प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय एकतरफा कार्यवाही करते हुए तथा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही होने से अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–5–19 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बाप को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट की उपस्थिति मे अपीलाधीन भूमि के संबंध मे नये सिरे से मौके की जांच करें तथा मौके की जांच के दौरान इस तथ्य को ध्यान मे रखा जाये कि अपीलांटगण के कब्जे की भूमि पर रेस्पो0संख्या 2 कम्पनी की भूमि की पैमाईश या ओवर लेपिंग तो नही हो रही है, का ध्यान मे रखते हुए अपीलांट के खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 60/510 की तरमीम नये सिरे से सम्पादित करें ।

निर्णय आज दिनांक 30–7–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर